Name of the College- APSM College Barauni
Name → Dr. Rajesh Kumar Suman
Deptt → Economics Date → 18-11-202?
Designation → [GT] Unit → 02
Class → B.A Part-I [H]
Paper → 2nd
Name of the topic → Reforms in the [Indian tax structure]

⇒ पूंजी लाभ कर [Capital Gains tax] - कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति एवं प्रतिभूति जैसे → भूमि, भवन, शेयर, डिबेंचर या कोई अन्य संपत्ति जब अपनी क्रय लागत या निर्माण लागत से अधिक पर बिकती है तो इस पर होने वाले लाभ को पूंजी लाभ कहा जाता है। इस पूंजी लाभ पर लगने वाले कर को ही 'पूंजी लाभ कर' कहते हैं। पूंजी लाभ कर समयावधि के आधार पर सामान्यतया दो प्रकार के होते हैं।

(i) अल्पकालीन पूंजी लाभ कर - [Short term Capital Gain tax]
(ii) दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर - [Long term Capital Gain tax]

(i) अल्पकालीन पूंजी लाभ कर :- यदि कोई वित्तीय परिसंपत्ति (जैसे भूमि, भवन इत्यादि) विक्रेता के पास 36 माह (प्रतिभूति जैसे शेयर 1 वर्ष) से कम समयावधि के लिये रही हो, तो उस प्रतिभूति के विक्रय से होने वाले पूंजी लाभ पर कर को 'अल्पकालीन पूंजी लाभ कर' कहते हैं।

(ii) दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर :- यदि कोई वित्तीय परिसंपत्ति (जैसे - भूमि, भवन 36 माह से अधिक) या प्रतिभूति (जैसे शेयर 1 वर्ष से अधिक) विक्रेता के पास रही हो, तो उस प्रतिभूति के विक्रय से होने वाले पूंजी लाभ पर कर को 'दीर्घकालीन पूंजी लाभ कर' कहते हैं।

⇒ प्रतिभूति विनिमय कर :- प्रतिभूति विनिमय कर एक ऐसा विनिमय कर है जो घरेलू स्टॉक एक्सचेंज में हुए लेन-देन पर लगाया जाता है।

Scanned with CamScanner

प्रतिभूति विनिमय कर की शुरुआत 1 Oct 2004 को की गई।
प्रतिभूति विनिमय कर की दरें केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित की जाती है एवं यह कर स्टॉक एक्सचेंज से वसूला जाता है। प्रतिभूति विनिमय कर की वसूली विभिन्न प्रतिभूतियों जैसे :- शेयर, डिबेंचर, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड इत्यादि के खरीदने एवं बेचने पर की जाती है।

⇒ अप्रत्यक्ष कर :- [Indirect tax] - ऐसे करों को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है जिनका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाता है अर्थात् अप्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात [Incidence of tax] किसी अन्य व्यक्ति पर होता है और कराघात [Impact of tax] किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर की स्थिति में कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता, जो उसे अदा करता है।
उदाहरण :- उत्पादन कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, स्टांप शुल्क इत्यादि।

⇒ सीमा शुल्क [Custom Duty] - सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, जो किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के एवज में लगाया जाता है और इस कर का भुगतान करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होती है। यह कर केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित एवं एकत्र किया जाता है, परंतु वित्त आयोग की सिफारिश पर इसे केन्द्र एवं राज्यों में बाँटा जाता है। केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड सेवा कर लगाने एवं वसूलने संबंधित नीति तैयार करता है।

३) उत्पाद शुल्क :- किसी वस्तु का उत्पादन देश के भीतर करने पर केन्द्र सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है। उसे 'उत्पाद शुल्क' कहते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। किंतु शराब, तंबाकू, गाँजा जैसी मादक वस्तुएँ, जो मानवीय उपभोग में आती है, के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। यह राज्य सरकारों के लिये राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। ऐसी वस्तुओं पर केन्द्र सरकार कर नहीं लगाती। तंबाकू से निर्मित वस्तुओं (जैसे - सिगरेट) पर केन्द्र सरकार कर लगाती है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व का विभाजन वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच होता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भारत में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों द्वारा भारत सरकार के राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा प्रशासित होता है।

Scanned with CamScanner